

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक आ.प्र. एवं सहा./आ.बिजली/स्वीकृति/2022-23/1031-38

दिनांक: 18/12/2023

-: प्रशासनिक स्वीकृति :-

तहसील कार्यालय अरनोद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से हुई पशुक्षति पर पीड़ित को आर्थिक सहायता हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है। अतः उपखण्ड अधिकारी अरनोद/तहसीलदार अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं राज्य आपदा मोचन कोष और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के वर्ष 2022-23 से 2025-26 के नवीन संशोधित मानदण्डों के बिन्दु संख्या क06(प) में वर्णित प्रावधानानुरूप पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग प्रतापगढ़ की अनुशंषा अनुसार पीड़ित को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आकाशी बिजली गिरने से पशुक्षति होने पर आर्थिक सहायता एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01.	श्री विनोद पिता कारूलाल दमामी निवासी बेड़मा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़।	दिनांक 23.07.2023 को आकाशीय बिजली से पशुक्षति (एक गाय की मृत्यु) होने पर।	37500/-रु.
कुल योग			37500/-रु.

(अक्षरे सैतीस हजार पांच सौ मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण रिवोल्विंग मद में आवंटित राशि से निम्न लेखा मद से किया जायेगा:
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01- सूखा, 800- अन्य व्यय, (03)- राहत कार्यो पर व्यय (02)- अग्नि सहायता, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)। उक्त राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशो/निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे। आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे। स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी अरनोद।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
- कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
- तहसीलदार, अरनोद।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़